संख्या 1282/उन्तीस(2)/17–2(24पे0)/2001

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय :–वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (टी0एस0पी0) हेतु वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 654/S-2(State Share)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष, 2016–17 एवं वर्ष,17–18 में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1660.27 लाख एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 184.47 को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 1844.74 लाख के कम में विभिन्न शासनादेशो से अवमुक्त धनराशि रू0 1193.94 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 650.08 लाख मे से केन्द्रांश की धनराशि रू0 465.61 लाख (रू0 चार करोड पैसठ लाख इससठ हजार मात्र) की वित्तीय वर्ष 2017–18 निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(ii) उक्त धनराशि निदेशक, पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार देहरादून से आहरित की जायेगी।

(iii) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय अनुमोदित परियोजना के अनुसार तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जायेगा। कार्यवार धनावंटन एवं व्यय की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मेनुअल फाइनेंन्शियल हैण्डबुक तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय––समय पर वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार ही धनराशि व्यय की जाय और मितव्ययता बरती जाय।

vi) उपरोक्त प्रस्तर–5 एवं 6 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार से विचलन होगा तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा। सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को दी जाय।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं भारत सरकार को समयबद्व रूप से प्रेषित कर दिया जाय।

2.....

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक "4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय –02–मल निकासी एवं सफाई–105–सफाई सेवाएं–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना –01–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (2215021050101 से स्थानान्तरित)–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1708311558 दिनांक 22 अगस्त,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610 /3(150) /XXVII (1) /2017 दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 में दिये गये दिशा– निर्देशो के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 1282(1)/उन्तीस(2)/17–2(24पे0)/2001 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक, सी0आर0एस0टी0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव